

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 223004

पटना, दिनांक 04/03/15

ग्रा.वि.-14(म0)न0- 02/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

रमेश शर्मा,
तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोविन्दपुर, नवादा।
सम्प्रति उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर।

निबंधित

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नवादा से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप गोविन्दपुर प्रखंड (जिला-नवादा) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के जापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।


4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
10.62	₹ 14549.40/-

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 10.62 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अतः आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं आपका उत्तरदायित्व निर्धारण कर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वसभाजन,

(प्रदीप कुमार) 3/3/15
सचिव

जिला :- नवादा।

प्रखण्ड :- गोविन्दपुर

30%

क्र०	पंचायत का नाम	वर्ष	प्रोविडेंट का नाम	मुखिया का नाम	पंचायत सचिव का नाम	जोविशो विवेकता का नाम	प्राप्त आवंटन की मात्रा	उठाव की गई खाद्यान की मात्रा	वितरित खाद्यान की मात्रा	अवशेष खाद्यान की मात्रा	प्रति कि० दर	कुल वसूलनी राशि	वसूल की गई राशि	अवशेष राशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2003-04	श्री विनोद कुमार				1491	1427.59	1427.59	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	
1		2004-05	श्री विनोद कुमार			ब्यापार मण्डल	2166	200.00	200.00	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	
		2005-06	श्री रमेश शर्मा				500	500.00	500.00	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	
2		2005-06	श्री रमेश शर्मा			श्यामफुल देवी	582	521.52	510.90	10.62	13.70	14549.40	0.00	14549.40	
कुल :-							4157	2127.59	2127.59	0.00	13.70	0.00	0.00	14549.40	

65

The Secretary,
Rural Development Department,
Government of Bihar,
Patna

SUBJECT : *Transition From the SGRY and the NFFWP towards
the implementation of NREGA in Districts identified*

30/11/06

Sir/Madam,

The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) will be implemented in select identified Districts in the initial stage (list enclosed). The National Food for Work Programme (NFFWP) and the Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) will merge in these identified Districts with the Employment Guarantee Scheme, once NREGA comes into force. In this regard, following decisions on key issues have been taken by the Government of India in order to facilitate smooth transition from the NFFWP and the SGRY towards NREGA in the identified Districts that require your immediate attention.

1. If the NREGA is notified in an area in the current financial year, the process of demand registration will start according to the Act and the Guidelines made. The demand for employment would be met from the ongoing SGRY and the NFFWP works. The funds used will be from SGRY/NFFWP accounts. But the work allotted to those who have demanded work under the EGS will be recorded as work given for purposes under NREGA. Section 3 of the Act allows this by stipulating that until the State Government notifies its EGS, the Annual Action Plan or Perspective Plan of SGRY or NFFWP which ever is in force will be deemed to be the action plan for the scheme for the purposes of the Act. For non-NFFWP district identified under NREGA, additional funds for taking up works on NFFWP pattern are being released separately. Rs.25.00 lakh for every identified 200 districts is being released for printing of Job Cards and registers prescribed.

Handwritten signature and date: 30/11/06

2. Under the SGRY/NFFWP, works are not opened on demand for employment but according to a plan of infrastructure needs. Once the SGRY/NFFWP works also become instruments for NREGA, they will also absorb labour that is allotted employment on them through NREGA (after registration and Job Card and Demand process is followed). Therefore, during the transition period, SGRY/NFFWP will be employing labour both

58
11/06

Contd...2/-

नामसुख एवं लक्ष्मि
ग्रामीण विकास विभाग
स. व. प्र. वि. प्र. कोष
आवृत्ति क्रमांक :

